

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 89/2017-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 24 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, अनुबंध में, शर्त में 95, शीर्ष "शर्त", के अंतर्गत, उपवाक्य (ii) के पश्चात उप-उपवाक्य (क) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(कक) यदि किसी परियोजना के आयात के मामले में जिसके लिए भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय के कम से कम संयुक्त सचिव के स्तर के किसी अधिकारी के द्वारा जारी किया गया मेगा पावर प्रोजेक्ट से संबंधित प्रमाणपत्र अनंतिम हो, आयातकर्ता आयात के समय उपायुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, को ऐसे आयात पर देय सीमाशुल्क, यदि यह छूट न दी गई हो तो, के बराबर की राशि के लिए भारत के राष्ट्रपति के नाम एक सौ छब्बीस महीने की अवधि तक के किसी अनुसूचित बैंक से प्राप्त सावधि जमा रशीद या बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा करता हो और यदि आयातकर्ता आयात की तारीख से एक सौ बीस महीने की अवधि के भीतर मेगा पावर की अंतिम स्थिति से संबंधित प्रमाणपत्र को नहीं प्रस्तुत कर पाता है तो उक्त प्रतिभूति को ऐसे आयात पर देय सीमाशुल्क, यदि यह छूट न दी गई हो तो, के एवज में जब्त कर लिया जाएगा:

बशर्ते कि प्रोविजनल मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के मामले में फिक्स्ड डिपॉजिट रशीद या बैंक गारंटी के रूप में जमा की गई प्रतिभूति को भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के उक्त संयुक्त सचिव द्वारा जारी किए गए मेगा सर्टीफिकेट के अनुपात में ही निर्मुक्त किया जाएगा।"

[फा.सं. 354/94/2011-टीआरयू (भाग-1)]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट :- प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 87/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 17 नवम्बर, 2017, सा.का.नि. 1430 (अ), दिनांक 17 नवम्बर, 2017 के द्वारा संशोधन किया गया है।